नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नोएडा

(दिनांक 30/10/2023 को सुबह 11:00 बजे आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएसईज़ेड प्राधिकरण 30.10.2023 को सुबह 11:00 बजे की अध्यक्षता में आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (एनएसईजेडए) की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक के दौरान नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्य/विशेष आमंत्रित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र ।
2. श्री नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड (विशेष आमंत्रित)
3. श्री राकेश कुमार, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, कानपुर (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े)।
4. श्री राहुल टंडन, इडेमिया सिसकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए)।

इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री किरण मोहन मोहदिकर, सचिव एवं उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) श्री अमित कुमार गुप्ता, उपायुक्त (सीमा शुल्क), नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iii) श्री अजय कुमार मिश्रा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iv), श्री राजेंद्र मोहन कश्यप, सहायक विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (v) श्री अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक-II, और (vi) श्री नीलेश शाह, सलाहकार (सिविल इंजीनियर) (vii) श्री वरुण वर्मा, ईई, यूपीपीसीएल, viii) श्री राकेश कुमार, एई, यूपीपीसीएल, ix) श्री बी.के. कश्यप, एई, यूपीपीसीएल और x) श्री राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल भी प्राधिकरण की सहायता के लिए उपस्थित थे।

बताया गया कि गणपूर्ति पूरा हो गया है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

प्रारंभ में, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष और सीईओ ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल प्रत्येक मद को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया और निम्नानुसार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

1. दिनांक 27/09/2023 को आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:

1.1 नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण को सूचित किया गया कि 27.09.2023 को आयोजित बैठक में लिए गए किसी भी निर्णय के खिलाफ कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था। तदनुसार, 27.09.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

2. नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक नए सब-स्टेशन का निर्माण:

यूपीपीसीएल के सहायक अभियंता श्री बी.के. कश्यप ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में बिजली की बढ़ती मांग पर प्रकाश डालते हुए नए सब-स्टेशन के निर्माण की आवश्यकता के प्रस्ताव को समझाया।

उनके द्वारा बताया गया कि नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में मौजूदा इकाइयों के विद्युत भार में वृद्धि के कारण और गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली भार बढ़ जाएगा और वर्तमान क्षमता (अभी 40 मेगावाट है) इस व्यस्ततम मौसम में भी पर्याप्त नहीं होगी, यह लगभग 85% क्षमता को प्रभावित कर रहा था।

यूपीपीसीएल ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर सब-स्टेशन के निर्माण के कार्यसूची पर नोएडा प्राधिकरण के साथ चर्चा की थी क्योंकि नोएडा प्राधिकरण नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर विभिन्न सब-स्टेशनों का निर्माण

कार्य कर रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने यूपीपीसीएल को नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर सबस्टेशन के निर्माण के लिए नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए सूचित किया।

इस संबंध में, यूपीपीसीएल ने जी ब्लॉक के पास एक साइट सर्वेक्षण किया था और प्रस्तावित नए सबस्टेशन की अनुमानित लागत, जो वोल्टेज को 33 केवी से 11 केवी तक कम कर देगी, लगभग 12 करोड़ रुपये होगी। नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ने ई-ब्लॉक के पास मौजूदा सबस्टेशन में उपलब्ध जगह पर नया सबस्टेशन बनाने का सुझाव दिया। इस सुझाव के मद्देनजर यूपीपीसीएल को नए सिरे से साइट सर्वे कराना होगा।

निर्णय: उचित विचार-विमर्श के बाद, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ने सैद्धांतिक रूप से एक नए सबस्टेशन के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो निम्नलिखित अनुपालन के अधीन नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर वोल्टेज को 33 केवी से घटाकर 11 केवी (और बाद में पावरलोड बढ़ाएगा) करेगा: -

- यूपीपीसीएल नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में सभी सबस्टेशनों की मौजूदा क्षमता, बढ़ाई जाने वाली क्षमता, बीओक्यू के साथ अनुमानित व्यय का संकेत देते हुए नए सिरे से साइट सर्वेक्षण करेगा और यूपीपीसीएल आवश्यकता को समझने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

- नोएडा प्राधिकरण के साथ-साथ यूपीपीसीएल से नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर एक नया सबस्टेशन बनाने का अनुरोध किया जा सकता है जैसा कि वे नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर कर रहे हैं। हालाँकि, यदि यह संभव नहीं है, तो नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण अपने कोष से नए सब स्टेशन का निर्माण करेगा।

बैठक के दौरान अतिरिक्त बिन्दुओं पर चर्चा की गई:- यूपीपीसीएल के प्रतिनिधि को बताया गया कि नये आवंटियों से पिछले आवंटियों का भुगतान करने का अनुरोध किया जा रहा है। यह सुझाव दिया गया कि यूपीपीसीएल यह सुनिश्चित कर सकता है कि लंबित बिजली बकाया यूपीपीसीएल के पास उपलब्ध सुरक्षा जमा से अधिक नहीं होना चाहिए। यूपीपीसीएल की देनदारी बढ़ने से रोकने के लिए बिजली कनेक्शन तुरंत काटा जाना चाहिए। यूपीपीसीएल प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किया गया था कि उपयुक्त निर्णय लेने के लिए उन्हें बीमार/बंद इकाइयों की एक सूची प्रदान की जाए।

3. यूजीआर और ई ब्लॉक के पास उप-स्टेशनों की छत की मरम्मत:

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि यूपीपीसीएल ने बताया है कि यूजीआर और ई ब्लॉक के पास सबस्टेशनों की छत की कई वर्षों से मरम्मत नहीं की गई है, और छत की स्थिति सबस्टेशन उपयोगकर्ताओं और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है और इसलिए, शीघ्र रखरखाव करना होगा। संभावित क्षति को रोकने और सुविधा की सुरक्षा और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए सबस्टेशन की छत की आवश्यकता होती है।

श्री नीलेश शाह, सलाहकार ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण को सूचित किया है कि उन्होंने दोनों उप-स्टेशनों का दौरा किया है और यूजीआर के पास और ई ब्लॉक के पास सबस्टेशन पर जलरोधी, दीवारों की मरम्मत की आवश्यकता है, मामूली मरम्मत कार्य किए जाने की आवश्यकता है श्री शाह ने बताया कि इस मरम्मत की अनुमानित लागत दोनों सब-स्टेशनों के लिए लगभग 7-8 लाख रुपये है।

निर्णय: मरम्मत कार्य को नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था। कार्य जीएफआर के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

4. एबिक्स को आवंटित प्लॉट नंबर 118, 119ए, 120 और 121, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र का गैर-उपयोग (इकाई-3):

भूखंड उपयोग की समीक्षा के दौरान, यह ध्यान में आया कि नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्लॉट नंबर 118, 119ए, 120 और 121 23 अगस्त 2018 से एबिक्स- इकाई-3 के कब्जे में हैं। लगभग पाँच वर्षों के बावजूद, ये भूखंड

खाली और अप्रयुक्त हैं। प्राधिकरण को सब पट्टा विलेख की शर्त संख्या 2सी के बारे में भी बताया गया, जो इस प्रकार है:-

"पट्टा शुरू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर 1:1 के फ्लोर स्पेस इंडेक्स का पूरी तरह से उपयोग करना, बशर्ते कि उस स्थिति में, उप-पट्टाधारक के नियंत्रण से परे कारणों के लिए उप-पट्टा हो, उपर्युक्त के अनुसार पूरी तरह से फर्श स्थान का उपयोग करने में असमर्थ, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, (बाद में अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में संदर्भित) अपने विवेक पर ऐसी अवधि को आगे की अवधि के लिए बढ़ा देगा, जैसा कि वह आवश्यक समझता है, उप-पट्टेदार को किस विस्तारित अवधि में काम पूरा करना होगा ताकि फर्श की जगह का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके, बशर्ते कि उप-पट्टेदार को अपने नियंत्रण से परे किसी भी कारण से पूर्वोक्त के रूप में फर्श की जगह का पूरी तरह से उपयोग करने से रोका नहीं गया था, मूल रूप से निर्धारित अवधि के भीतर या उसके द्वारा पूर्वोक्त रूप से अनुमत विस्तारित अवधि के भीतर, उप-पट्टाधारक अप्रयुक्त शेष क्षेत्र के संबंध में यहां दिए गए सामान्य पट्टा किराए से पांच गुना अधिक पट्टा किराया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।"

चूंकि, इकाई 23.08.2018 से जगह का उपयोग नहीं कर रही है और उपपट्टा विलेख की शर्त संख्या 2सी का अनुपालन नहीं कर रही है, इसलिए मामले में निर्णय लेने के लिए मामले को नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के समक्ष रखा गया है।

निर्णय: नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ने इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि उप-पट्टा विलेख की शर्तों के उल्लंघन के लिए इकाई पर पांच गुना किराया क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ने एनएसईजेड प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इकाई से उत्तर प्राप्त होने पर फाइल पर मामले पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।

5. एनएसईजेड नोएडा में बुनियादी ढांचे के विकास और उन्नयन के लिए व्यापक योजना अभियांत्रिकी, परियोजना प्रबंधन परामर्श और निर्माण के लिए निविदा:

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण को सूचित किया गया कि एनएसईजेड नोएडा में बुनियादी ढांचे के विकास और उन्नयन के लिए व्यापक योजना अभियांत्रिकी, परियोजना प्रबंधन परामर्श और निर्माण के लिए निम्नलिखित कार्य नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में किए जा सकते हैं:

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित मूल्य (लाख रूपये में)
1.	सौंदर्यीकरण और रेट्रोफिटिंग कार्यों सहित सभी एसडीएफ ब्लॉकों का उत्थान	1800.00
2.	सेवा केंद्र के पीछे नए कार्यालय भवन का निर्माण (17000 वर्ग फुट x 5500 वर्ग फुट)	935.00
3.	जल निकासी व्यवस्था का पुनः विकास	2000.00
4.	सड़कों का पुनः सतहीकरण	540.00
5.	प्लॉट नंबर 153 से प्लॉट नंबर 147, प्लॉट नंबर 128 से एसडीएफ 'जी' ब्लॉक और प्लॉट नंबर 78 सी गेट नंबर 02 तक अन्तर्ग्रथन टाइलें बिछाना	117.00
6.	प्लॉट नंबर 142 ए/24 से एसडीएफ 'एल' ब्लॉक तक निचली चारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाना और गेट से आरसीसी चारदीवारी का फिर से निर्माण	392.00
7.	सेंट्रल वर्ज का नवीनीकरण (2 किमी x 11000)	220.00
8.	एनएसईजेड, नोएडा के मौजूदा कार्यालय भवन (सेवा केंद्र) का नवीनीकरण कार्य	200.00
9.	सभी उपकरण आदि सहित 2 x 10 एमवीए उप-स्टेशन 33/11 केवीए का निर्माण।	1200.00
10.	विविध सिविल कार्य	200.00
	कुल	7604.00 या कहें 76.00 करोड़

निर्णय: उचित विचार-विमर्श के बाद, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। परियोजनाओं को जीएफआर के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा।

6. नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में सरकारी ईआरपी प्रणाली - यूएनआई ईआरपी नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में विश्व समाधान के कार्यान्वयन का प्रस्ताव:

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि वस्तुओं और सेवाओं की सभी खरीद जीएफआर मानदंडों के अनुसार जीईएम पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। हालाँकि वर्तमान में काम के लिए ऐसी कोई श्रेणी उपलब्ध नहीं है।

सीपीपी पोर्टल में कार्यों के नोटिस को ई-पब्लिशिंग और ई-टेंडरिंग के संबंध में जीएफआर-2017 के प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में प्राधिकरण को सूचित किया गया था। यह भी बताया गया कि इस कार्यालय ने आईटीआई लिमिटेड से ई-टेंडरिंग सुविधा की सेवाएं प्रदान करने का अनुरोध किया है। आईटीआई लिमिटेड ने 26.10.2023 को एक प्रस्तुति दिया और बताया कि उनका प्रणाली सीपीपी पोर्टल के साथ पूरी तरह से एकीकृत है। आईटीआई लिमिटेड निविदाएं प्रकाशित करने और बोलियां प्राप्त करने के लिए संपूर्ण समाधान प्रदान करता है, जिसका इस कार्यालय पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। पोर्टल पर पंजीकरण और बोली जमा करने के लिए नाममात्र शुल्क लिया जाएगा।

निर्णय: नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और समान सेवाएं प्रदान करने वाले अन्य ईआरपी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से प्रस्ताव प्राप्त करने और तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर चयन करने का निर्णय लिया।

7. एसडीएफ एल एंड एम ब्लॉक, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में शौचालय ब्लॉक के मरम्मत कार्य:

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण को सूचित किया गया कि एसडीएफ एल एंड एम ब्लॉकों में शौचालय ब्लॉकों के निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि इन ब्लॉकों के भीतर या तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं या जगह पर नहीं हैं और इस स्थिति में इन सुविधाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। यह भी बताया गया कि मेसर्स वाप्कोस लिमिटेड ने 2.86 लाख रुपये की अनुमानित लागत प्रस्तुत की है।

निर्णय: नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और इस शर्त के साथ प्रस्ताव को मंजूरी देने का फैसला किया कि काम जीएफआर के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

ए बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

अध्यक्ष एवं सीईओ